समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

--: आदेश :--

मो0 सगीर अहमद, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, घैलाढ़ (मधेपुरा) को दिनांक 27.08.2014 को 8,000(आठ हजार) हजार रुपये रिश्वत लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अंचल अधिकारी, घैलाढ़ के पत्रांक--519-2, दिनांक 27.08.2014 से प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में मो0 सगीर अहमद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, घैलाढ़ को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 796-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक 02.09.2014 द्वारा भूतलक्षी यथा दिनांक 27.08.2014 के प्रभाव से निलंबित करते हुए मो0 सगीर अहमद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। अंचल अधिकारी, घैलाढ़ को मो0 सगीर अहमद, निलंबित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के माध्यम से भेजने का निदेश दिया गया। मो0 सगीर अहमद द्वारा दिनांक 07.02.2015 को जेल से जमानत पर छूटने के पश्चात दिनांक 09.02.2015 को अंचल कार्यालय, घैलाढ़ में योगदान समर्पित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(1) में अंकित प्रावधान के आलोक में दिनांक 09.02.2015 (योगदान की तिथि) के प्रभाव से मो0 सगीर अहमद, निलंबित राजस्व कर्मचारी का योगदान कार्यालय आदेश ज्ञापांक 168-2/स्था0, दिनांक-16.02.2015 द्वारा स्वीकार किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(2) में निहित प्रावधान के आलोक में मो0 सगीर अहमद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, घैलाढ़ के निलंबन को बरकरार रखते हुए अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज मुख्यालय निर्धारित किया गया।

अभियोजन की स्वीकृति :--

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2218/अप0शा0, पटना दिनांक 01.09.2014 द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-057/2014, दिनांक 28.08.2014, अन्दर धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0-1988 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी अभियुक्त मो0 सगीर अहमद, वर्त्तमान राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, घैलाढ़ हल्का नं0-3, जिला-मधेपुरा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना के उक्त प्रस्ताव के आलोक में विधि शाखा, समाहरणालय मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 972/विधि, मधेपुरा, दिनांक 17.09.2014 द्वारा भ्र0नि0अधि0 1988 की धारा-19(1)(सी) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगरानी थाना कांड सं0-057/2014, दिनांक 28.08.2014, धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0-1988 के प्राथमिकी अभियुक्त मो0 सगीर अहमद, तत्कालीन

राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, घैलाढ़, हल्का नं0-03, जिला-मधेपुरा के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

आरोप :-

क्रमांक	आरोप	साक्ष्य
01	आप अंचल कार्यालय, घैलाढ़ में राजस्व कर्मचारी के पद पर पदस्थापित रहे। दिनांक 27.08.2014 को श्री निर्मल कुमार पिता-श्री शत्रुघ्न प्रसाद यादव ग्राम-रामनगर, वार्ड नं0-13, थाना-घैलाढ़, जिला-मधेपुरा से दाखिल-खारिज कराने के लिये मो0 8000 (आठ हजार) रूपये मात्र रिश्वत लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया। कार्य के बदले रिश्वत लेना सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम आचरण के विरूद्ध एवं भ्रष्टाचार में संलिप्तता का द्योतक है।	1. अंचल अधिकारी, घैलाढ़ के पत्रांक 519-2 दिनांक 27.08.2014 की छायाप्रति। 2. जिलाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 796-2/ स्था0, दिनांक 02.09.2014 की छायाप्रति। 3. दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर की छायाप्रति। 4. पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार, पटना के पत्रांक 2302/ अप0शा0 दिनांक 10.09.2014 से प्राप्त श्री निर्मल कुमार (आवेदक) का आवेदन, श्री चन्द्रभूषण कुमार सिंह, सिपाही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार, पटना के सत्यापन प्रतिवेदन, प्री-ट्रैप मेमोरेंडम, पोस्ट-ट्रैप मेमोरेंडम एवं प्राथमिकी की छायाप्रति।

सरकार के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2324 दिनांक 10.07.2007 की कंडिका 3 में उल्लेख किया गया है कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम बी0 के0 मीणा वाले मामले में दिनांक 27.09.96 को पारित आदेश (AIR 1997 Supreme Court 13) के अनुसार समान आरोपों पर आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकती है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब भी किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाय तो साथ-ही-साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की जाय।

सरकार के उक्त आदेश के आलोक में मो0 सगीर अहमद, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, घैलाढ़ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति :-

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-927-2/स्था0, मधेपुरा दिनांक 10.10.2014 द्वारा मो0 सगीर अहमद, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, घैलाढ़ के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, घैलाढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतब्य :-

नामांतरण आवेदन के निष्पादन के क्रम में आरोपित राजस्व कर्मचारी मो0 सगीर अहमद के द्वारा रिश्वत लिये जाने के मामले में निर्णय/आदेश माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी पटना में विचाराधीन है एवं आदेश/निर्णय प्रतीक्षित है।

द्वितीय कारण पृच्छा:-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 373-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक 04.03.2016 के द्वारा मो0 सगीर अहमद, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, घैलाढ़, मुख्यालय-अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया गया। मो0 सगीर अहमद, निलंबित राजस्व कर्मचारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब दिनांक 21.03.2016 को समर्पित किया गया है। द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब में मो0 सगीर अहमद, निलंबित राजस्व कर्मचारी द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया है :- "

01. दिनांक 28.07.2014 को श्री निर्मल कुमार ने दाखिल खारिज हेतु दो आवेदन लोक सेवाओं का अधिकार काउन्टर घैलाढ़ में दाखिल किया, प्राप्ति रसीद संख्या-050114112031401819 एवं 050114112031401820 है।
02. दिनांक 30.07.2014 को अपराहन् अंचल कार्यालय द्वारा मुझे जांच प्रतिवेदन देने हेतु हस्तगत कराया गया था।
03. दिनांक 04.08.2014 को मैंने अपना सही सही जांच प्रतिवेदन अंचल कार्यालय में समर्पित कर दिया था।
04. दिनांक 07.08.2014 को अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल खारिज से संबंधितों को नोटिस तामिला कर दिया गया था।
05. दिनांक 08.08.2014 को नोटिस प्राप्ति के दूसरे दिन श्री निर्मल कुमार मेरे हल्का कचहरी में आए और हमसे कहने लगे कि आप अपने जांच प्रतिवेदन में खेसरा संख्या 379 को क्यों छोड़ दिया तो मैंने कहा कि खेसरा सं0 379 विक्रेता राजेश्वर यादव पिता सियाराम यादव की भूमि नहीं है बल्कि खाता संख्या-533 खेसरा-379 का जमाबंदी रैयत राजेश्वरी देवी पिता- नवाबलाल यादव की भूमि है और विक्रेता राजेश्वर यादव को किसी प्रकार से प्राप्त नहीं है। इसी बात पर श्री कुमार ने गुस्से में आकर हल्ला करते हुए मुझे अभद्र बाते कहने लगे कि आप हमको सिखाते हैं, आपको पता नहीं है कि मैं अधिवक्ता हूँ , आपको इसका परिणाम भुगतान पड़ेगा। इतने में हल्ला सुनकर मकान मालिक मो0 युनुस और बगल के मेडिकल दुकानदार अनिल कुमार दौर कर आए और समझा बुझा कर निर्मल कुमार को शांत किये। शांत होने के कुछ देर बाद निर्मल कुमार ने हमसे पूछा कि मेरे पास दस बारह बीघा खतियानी भूमि है, उसकी लगान रसीद कटाने में कितना रूपया लगेगा तो मैंने कहा कि पुरानी रसीद कब तक कटा है? उसपर श्री कुमार ने कहा कि मेरे होश में कभी रसीद नहीं कटा है तो मैने पुछा की जमाबंदी नम्बर कितना है तो वे बोले जमाबंदी नम्बर मुझे मालूम नहीं है, लगभग अनुमानित राशि बता दिजीए। बहुत जिद करने पर मैंने लगभग अनुमानित राशि- 8000/00(आठ हजार) बताया। उसके बाद वे चले गए। उस समय श्री राजेन्द्र गुप्ता पिता स्व0 रामेश्वर गुप्ता सा0 मौजा रतनपुरा थाना-घैलाढ़, जिला-मधेपुरा भी हल्का कचहरी में उपस्थित थे। इस घटना की मौखिक जानकारी मैंने